3-16 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रतिवादी को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27-5-2016 को पेश हो।

7-5-16 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर~~ प्रशिक्षण में होने से पत्रावली दिनांक 23-6-16 को पेश हो।

23.6.16 पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर मु० चौरड़ी लोक अदालत में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण हाजिर उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी 2067-71 के ग्राम पाटिया कोदर खाता सं० 58 में दर्ज किता 6 रकबा 0.86 हैक्टर पर खातेदार के रूप में बसन्त, किशन पिता कालू का नाम दर्ज है जो गलत है, यह भूमि इनकी न होकर वादी खेमा, लक्ष्मण, बबल सिंह, कान्तादेवी, जयन्ती, हंसी लाल, गडु, कस्तुरी की है, इनका नाम दर्ज किया जावे। बसन्त व किशन का खाता अलग होकर ग्राम पाटिया कोदर (जमाबंदी सं. 2067-71) के खाता सं० 57 में किता 15 रकबा 2.59 पर दर्ज है अतः उक्त किता 6 रकबा 0.86 है० भूमि वादीगणों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने में हम सभी सहमत हैं।

नि.अं. खेमा

नि.अं. लक्ष्मण

कान्तादेवी

नि.अं. जयन्ती

बबलसिंह

हंसीलाल

नि.अं. कस्तुरी

गडुलाल

Scanned by CamScanner

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया, राजीनामा व शजरे का अवलोकन किया। शजरा अनुसार गजा के चार पुत्र कला, भाला, दला, कालु थे, जिनकी सभी की मृत्यु हो गई है। कला के बसन्त, किशन दो पुत्र हैं। कालु के खेमा, लक्ष्मण, जयन्ति लाल, बंशीलाल, गट्टु एवं रामचंद्र का होना राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार खाता विभाजन भी हो चुका है किन्तु जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता नं० 48 में दर्ज किता 6 रकबा 0.86 है० पर खातेदार का नाम बसन्त, किशन S/o काला लिखा गया है जो गलत है यह भूमि वादीगण खेमा, लक्ष्मण, बबलसिंह, कान्तादेवी, जयन्तीलाल, बंशीलाल, गट्टु एवं कस्तूरी बेवा कालु के नाम दर्ज होना चाहिए। प्रतिवादी क्रम। न २ के नाम से अलग खाते में किता 18 रकबा 2.59 दर्ज है। अत: खाता नं० 48 किता 6 रकबा 0.86 है० पर खेमा, लक्ष्मण, बबलसिंह, कान्तादेवी, जयन्तीलाल, बंशीलाल, गट्टु एवं ~~बंशीलाल~~ कस्तुरी बेवा कालु का नाम दर्ज करने की सभी

फर्द अहकाम

देते हुए राजीनामा पेश किया है जो तस्दीक किया गया।
अत: राजीनामा एवं सहमति के आधार पर किता 6 रकबा 0.86 हे० में दर्ज खातेदार जसन्ता किशना पु० कला का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इनके स्थान पर खेमा, लक्ष्मण, जयन्ति, बंसीलाल, गुड्डु पु० कालु का नाम हि० 5/6 में एवं बबल सिंह पु० रामचंद्र तथा श्रीमती कान्ता देवी पत्नि स्व० रामचंद्र का नाम हि० 1/6 में दर्ज किये जाने हेतु खातेदार घोषित करते हुए नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।